न्यायालय नायब तहसीलदार, सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं (राज.)

पीठासीन अधिकारी ::: बनवारीलाल

R.T.S.

मिसल नं. ::: 12/2018

सरकार बनाम कर्णसिंह पुत्र ताराचन्द, जाति जाट निवासी– धण्डावा

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक 19.02.2018

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायल कर्णसिंह पुत्र ताराचन्द, जाति –जाट, निवासी – धण्डावा द्वारा रोही मौजा धण्डावा की भूमि ख. नं. 359 कुल रकबा 21.26 हैक्टर गैर मु. जोहड़ में से 0.04 हैक्टर पर मकान व ढारे बनाकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल ने उपस्थित होकर जवाब पेश किया कि उक्त मकानात का वह अपने परिवार के साथ पीढी दर पीढी उपयोग व उपभोग करता आ रहा है। अपना कब्जा विधिक होने के संबंध में कोई साक्ष्य/सबूत पेश नही किया। गैर सायल के जवाब को सन्तोषजनक नही माना जा सकता।

निर्णय हेतु पत्रावली, रिपोर्ट पटवारी, जवाब गैर सायल का अवलोकन एवं मनन किया गया। भूमि की किस्म गै. मु. जोहड़ है जो माननीय उच्च न्यायालय की रीट सं. 1536/2003 अब्दूल रहमान बनाम राजस्थान सरकार वगैरह के निर्णय से प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि है, जिस पर गैर सायल को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अतः पटवारी हल्का की रिपोर्ट को सही मानते हुए गैर सायल को उक्त विवादित रकबे पर अतिचारी घोषित किया जाता है एवं बेदखली आदेश दिया जाता है तथा आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान राशि 12 रू. पैनेल्टी आरोपित की जाती हैं ।

तहसील राजस्व लेखाकार से मांग कायमी करवाई जावें। पटवारी/गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं बेदखली हेतु लिखा जावें। मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.02.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रा० ले० स० 4 के पृष्ठ सं. 49 पर
वर्ष 2017-18 में रूपये 12/– कायम कि.
राजस्व लेखाकार

बनवारीलाल
नायब तहसीलदार
सूरजगढ़